राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 210/2024

सुरेन्द्र कुमार सोनी –अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति कोटकासिम जिला खैरथल–तिजारा।
4. श्री रामगोपाल सैनी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गिरबास।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.02.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.11.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.11.2023 से निलम्बन किये जाने के कारण ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पतलिया का चार्ज निजी प्रत्यर्थी संख्या 4, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गिरवास को अग्रिम आदेशों तक ग्राम पंचायत पतलिया का चार्ज कार्य व्यवस्थार्थ दिया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.01.2024 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 07.11.2023 को निलम्बित किया गया, को जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 26.12.2023 की अनुपालना में बहाल किया जाकर अपीलार्थी को ग्राम पंचायत पतलिया, पंचायत समिति, कोटकासिम में लगाया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.01.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कोटकासिम में उपस्थित हुआ। परन्तु हाजरी रजिस्ट्रर सरपंच महोदया घर पर ले गयी हैं। अतः इस स्थिति में मैं अपनी उपस्थिति कहां दर्ज करूं मार्गदर्शन

करने हेतु लिखा गया। प्रत्यर्थी संख्या 03 के पत्र दिनांक 23.01.2024 (अनुलग्नक–4) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 04, को ग्राम विकास अधिकारी, गिरवास/पतलिया का चार्ज तत्काल अपीलार्थी को देने एवं लिखा कि अपीलार्थी को ग्राम पंचायत पतलिया का चार्ज क्यों नहीं दिया गया। अपना स्पष्टीकरण एवं चार्ज की सुपुर्दगी की रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षकर्ता को दिनांक 24.01.2024 तक प्रस्तुत करें। अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेंगी। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.01.2024 (अनुलग्नक–5) को प्रत्यर्थी संख्या 3 को पत्र लिखा कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के आदेश दिनांक 03.01.2024 की अनुपालना में ग्राम पंचायत पतलिया में दिनांक 24.01.2024 एवं 25.01.2024 को उपस्थित हुआ परन्तु निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा ग्राम पंचायत, पतलिया का चार्ज नहीं दिया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 को पत्र दिनांक 24.01.2024 (अनुलग्नक–6) के द्वारा सूचित किया कि आपके आदेश दिनांक 23.01.2024 की अनुपालना में कार्यालय, ग्राम पंचायत पतलिया में उपस्थित हुआ। परन्तु निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 ने मोबाईल पर अवगत कराया कि मैं नियम–17 के तहत जारी नोटिस का जवाब देने कोटकासिम जा रहां हूं। अतः मैं नहीं आ सकता। प्रत्यर्थी संख्या 03 के पत्र दिनांक 31.01.2024 (अनुलग्नक–7) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को लिखा कि आदेश दिनांक 03.01.2024 की अनुपालना में अपीलार्थी को ग्राम पंचायत, पतलिया का चार्ज क्यों नहीं दिया गया। अपीलार्थी को आज ही चार्ज सुपुर्द करे तथा अपना स्पष्टीकरण एवं चार्ज सुपुर्दगी की रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता को व्यक्तिशः दिनांक 31.01.2024 तक प्रस्तुत करे। अपीलार्थी के पत्र दिनांक 31.01.2024 (अनुलग्नक–8) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 3 को सूचित किया कि आपके आदेश दिनांक 31.01.2024 की अनुपालना में ग्राम पंचायत, पतलिया में चार्ज लेने हेतु उपस्थित हुआ परन्तु निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 एवं सरपंच की मिली भगत के कारण चार्ज देने के लिए मना कर दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 3 के पत्र दिनांक 01.02.2024 (अनुलग्नक–9) के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 के आदेश दिनांक 03.01.2024 द्वारा आपको ग्राम पंचायत, पतलिया में लगाया है, की अनुपालना में आप अपनी आगामी उपस्थिति पंचायत समिति कोटकासिम में न देकर ग्राम पंचायत, पतलिया में देना सुनिश्चित करें। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को ग्राम पंचायत पतलिया में न तो कार्यग्रहण कराया गया है न ही कार्यभार ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया जा रहा है। इसके अभाव में अपीलार्थी न तो चार्ज ले पा रहा है और न ही कार्यग्रहण कर पा रहा है। उक्त समस्त कार्यवाही कार्यवाहक ग्राम विकास अधिकारी निजी प्रत्यर्थी

संख्या 04 व वहां की सरपंच श्रीमती नीकिता कुमारी की मिलीभगत कर उसके द्वारा अनियमित कार्य किये जा रहे है इसलिए अपीलार्थी को वहां का चार्ज नहीं दिया जा रहा है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकृत फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.01.2024 की अनुपालना में ग्राम पंचायत, पतलिया में कार्यग्रहण करावें तथा वहां का चार्ज निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 ग्राम विकास अधिकारी कार्यवाहक से तुरन्त दिलाया जाये और उसे ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत पतलिया में कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें और न ही उसको वहां मिलने वाले वेतन–भत्ते व अन्य लाभों से ही वंचित करें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.11.2023 द्वारा निलम्बित किया जाकर ग्राम पंचायत, पतलिया का चार्ज निजी प्रत्यर्थी संख्या 04 ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, गिरवास को कार्यव्यवस्थार्थ अतिरिक्त चार्ज दिया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.01.2024 द्वारा अपीलार्थी को बहाल करते हुए ग्राम पंचायत, पतलिया में पुनः लगाया गया। तत्पश्चात् निजी प्रत्यर्थी संख्या 04 द्वारा अपीलार्थी को ग्राम पंचायत, पतलिया का चार्ज नहीं दिया गया है। इस क्रम में प्रत्यर्थी संख्या 03 द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 04 को पत्र दिनांक 23.01.2024, 31.01.2024 के द्वारा ग्राम पंचायत, पतलिया का चार्ज अपीलार्थी को तत्काल दिये जाने एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 04 का स्पष्टीकरण चाहे जाने पर भी निजी प्रत्यर्थी संख्या 04 के द्वारा अपीलार्थी को ग्राम पंचायत, पतलिया का चार्ज नहीं दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 03 के पत्र दिनांक 01.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया कि प्रत्यर्थी संख्या 02 के पत्र दिनांक 03.01.2024 द्वारा आपको ग्राम पंचायत, पतलिया में लगाया गया है। अतः अब आप अपनी आगामी उपस्थिति पंचायत समिति, कोटकासिम में न देकर ग्राम पंचायत, पतलिया में देना सुनिश्चित करें।

5. इस प्रकरण में Cause of Action वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने से अपील नियमानुसार चलने योग्य नहीं है।

6. अतः अपील अपीलार्थी मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्ता के प्रक्रम पर ही खारिज की जाती है।

7. आदेश आज दिनांक .... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य